उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग—1

संख्या : 13/8/92–कार्मिक–1/1992.

लखनऊ : दिनांक : 25 नवम्बर, 1992

(अधिसूचना)

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद—309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं में पृथक पर्वतीय उप संवर्ग के गठन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश पर्वतीय उप संवर्ग नियमावली, 1992

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पर्वतीय उप संवर्ग नियमावली 1992 कही जायेगी।

नियमावली का लागू होना

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. यह नियमावली पर्वतीय उप संवर्ग में सम्मिलित पदों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

3. किन्ही अन्य नियमों या आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यह नियमावली प्रभावी होगी।

परिभाषाएँ

4. इस नियमावली में—

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी पद पर लागू सुसंगत सेवा नियमावली में यथापरिभाषित नियुक्ति प्राधिकारी से है या जहाँ ऐसी नियमावली न हो वहाँ ऐसे पद पर नियुक्ति के लिए राज्यपाल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी है,

(ख) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है।

(ग) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(घ) "सामान्य संवर्ग" का तात्पर्य परिशिष्ट में उल्लिखित विभागों से सम्बन्धित किसी सेवा में समूह (ख) "ग" और "घ" के पदों की सदस्य संख्या से है जो पर्वतीयउप संवर्ग में सम्मिलित नहीं हैं,

(ङ) "पर्वतीय उप संवर्ग" का तात्पर्य नियम—5 के अधीन गठित पर्वतीय उप संवर्ग से है,

(च) "सेवा का सदस्य का तात्पर्य यथास्थिति सुसंगत सेवा नियमावलीयों या कार्यापालक अनुदेशों के अधीन सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है,

(छ) "सेवा का तात्पर्य परिशिष्ट में उल्लिखित विभागों में समूह "ख" "ग" और "घ" की सेवा से है।

(त) "मौलिक नियुक्ति का तात्पर्य ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और सुसंगत सेवा नियमावलियों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि ऐसी नियमावली न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों के द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो.

पर्वतीय उप संवर्ग का गठन

5. (1) परिशिष्ट में उल्लिखित विभागों में एक पृथक पर्वतीय उप संवर्ग होगा जिसे समूह "ब" "ग" और "घ" के पद, सिवाय उन पदों के जिनके पदाधिकारी इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व के दिनांक को पर्वतीय जिलों अर्थात् अल्मोड़ा, चमोली, देहारदून, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, टेहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी के बाहर स्थानान्तरित किये जाने के दायी नही थे, समाविष्ट होंगे।

(2) किसी सेवा में पर्वतीय उप संवर्ग की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आदेश द्वारा अवधारित की जाये।

(3) राज्य सरकार परिशिष्ट में ऐसे अन्य विभागों को सम्मिलित कर सकती है जो उसके द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायें।

सेवा में सदस्यों का पर्वतीय उप सवर्ग में आवंटन

6. (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा के विद्यमान सदस्यों से पर्वतीय उप संवर्ग में आवंटन के लिए या सामान्य संवर्ग में बने रहने के लिए तीन मास के भीतर अपना विकल्प देने की अपेक्षा की जायेगी।

(2) एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम और अप्रतिसंहरणीय होगा।

(3) यदि उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह समझा जायेगा कि सेवा का सदस्य सामान्य संवर्ग में रहना चाहता है और आवंटन पर्वतीय उप संवर्ग में नही चाहता है।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी उन व्यक्तियों की जिन्होंने पर्वतीय उप संवर्ग में आवंटन के लिए अपना विकल्प दे दिया हो सेवा में उन व्यक्तियों की ज्येष्ठता के अनुसार एक सूची तैयार करेगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्यक्तियों का पर्वतीय उप संवर्ग भी आवंटन उस क्रम में जिसमें उनके नाम उप नियम (4) के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हो, किया जायेगा और यदि सूची में व्यक्तियों की संख्या पदों की संख्या से अधिक हो तो पदों की संख्या से अधिक संख्या वाले व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा और जब कभी पर्वतीय उप संवर्ग में रिक्तियां हो उनका आवंटन किया जायेगा।

(6) यदि उप नियम (4) के अधीन तैयार की गयी सूची में व्यक्तियों की संख्या पर्वतीय उप संवर्ग में पदों की संख्या से कम हो तो शेष रिक्त पदों को पर्वतीय उप संवर्ग पर लागू यथास्थिति सुसंगत सेवा नियमावलीयों या कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार भरा जायेगा।

परन्तु जब तक कि पद यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावलियों या कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार न भरे जायें तो पद सामान्य संवर्ग से स्थानान्तरण द्वारा भरे जायेंगे।

भर्ती (7) पर्वतीय उप संवर्ग में पदों की यथास्थिति, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा सेवा पर लागू सेवा नियमावलियों या कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार भरा जायेगा । परन्तु जहाँ पर्वतीय उप संवर्ग में पड़ने वाले किसी पद पर भर्ती पदोन्नति द्वारा की जानी हो वहाँ पर्वतीय उप संवर्ग के सदस्यों की पृथक पात्रता सूची तैयार की जायेगी और उससे भर्ती की जायेगी ।

ज्येष्ठता (8) पर्वतीय उप संवर्ग में किसी सेवा में पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी ।

अन्य विषयों का विनियमन (9) ऐसी विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली के अधीन न होते हों पर्वतीय उप संवर्ग में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे ।

व्यावृत्ति 10. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के लिए उपलब्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

परिशिष्ट

(नियम–4 एवं 5 देखिएँ)

(1) उद्योग विभाग
(2) लघु एवं ग्रामीण उद्योग विभाग
(3) भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
(4) उर्जा विभाग
(5) कृषि विभाग
(6) ग्राम्य विकास विभाग
(7) पंचायती राज विभाग
(8) ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग
(9) पशुपालन विभाग
(10) मत्स्य विभाग
(11) सहकारिता विभाग
(12) दुग्ध विकास विभाग
(13) क्षेत्रीय विकास विभाग
(14) आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा विभाग
(15) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
(16) होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग
(17) नगर विकास विभाग
(18) प्राविधिक शिक्षा विभाग
(19) परिवहन विभाग

(20) पर्यटन विभाग
(21) राजस्व, विभाग (चकबन्दी भूमि अध्यासि तथा रिकार्ड आपरेशन संगठनों को छोड़कर)
(22) लोक निर्माण विभाग
(23) शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा सहित)
(24) प्रौढ़ शिक्षा विभाग
(25) श्रम विभाग
(26) प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग
(27) सिंचाई विभाग
(28) सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
(29) समाज कल्याण विभाग
(30) महिला कल्याण विभाग (बाल विकास योजनाओं सहित)
(31) युवा कल्याण विभाग ।

आज्ञा से,
ह०—अस्पष्ट
(ओ० पी० आर्य)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग—1

संख्या : 13/8/92–का–1/1992

लखनऊ : दिनांक : 25 **नवम्बर, 1992**

उत्तर प्रदेश, पर्वतीय उप संवर्ग नियमावली, 1992 को (अंग्रेजी रूपान्तरण सहित) संलग्न प्रतिलिपि निम्न-लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
(2) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(3) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
(4) सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश ।
(5) सचिव, विधानसभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
(6) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(7) सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
(8) निदेशक, उ०प्र० प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
(9) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
(10) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री ऐशबाग, लखनऊ को असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया उपर्युक्त गजट की 25 प्रतियाँ कार्मिक अनुभाग—7 को उपलब्ध करा दें ।

आज्ञा से,
जमी अहमद
विशेष कार्याधिकारी ।

उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक अनुभाग1—सं० 13/8/92—कार्मिक—1/1992, लखनऊ 'दिनांक —25 नवम्बर, 1992 द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के अधीन उत्तर प्रदेश पर्वतीय उप संवर्ग नियमावली, 1992 के नियम— (1), (2), (3) के अन्तर्गत दिया गया विकल्प—पत्र।

× × ×

मैं.. पुत्र...

निवासी.......... ... ... गृह जनपद ....जो........ .... सेवा का सदस्य हूँ शासन द्वारा उपरोक्त प्रख्यापित नियमावली के अन्तर्गत यह विकल्प देता हूँ कि मुझे सेवा के पर्वतीय उप संवर्ग में उपरोक्त नियमों के अधीन विकल्प के दिनांक से सम्मिलित कर लिया जाये।

मैं यह भी घोषित करता हूँ कि उपरोक्त प्रख्यापित नियमावली के नियम 6 (2) के अधीन मेरे द्वारा दिया गया विकल्प अन्तिम और अप्रतिसंहरणीय होगा।

दिनांक— नाम पुत्र श्री

स्थान पदनाम

मैं उपरोक्त विकल्प-पत्र को अग्रसारित करता हूँ

अग्रसारित करने वाले अधिकारी का नाम

पदनाम

हस्ताक्षर..............................